

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष— 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स— 0755— 2555162
E-Mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, Website: http://ceomadhyapradesh.nic.in

क्रमांक 90 / 2015 / ईव्हीएम / अवरुद्ध / 7699
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.8.2015

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त (म.प्र.)


विषय: ईव्हीएम की सुरक्षा एवं संधारण – निर्वाचन याचिका में अवरुद्ध EVM को स्ट्रांग रूम नहीं खोले जाने के संबंध में।

संदर्भ—भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 8 / 6 / 2015 / ई.एम.एस दिनांक 17.08.2015

उपरोक्त विषयक कृपया आयोग के संदर्भित पत्र (संलग्न) का अवलोकन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन याचिका में अवरुद्ध ईव्हीएम को स्ट्रांग रूम में रखे होने के संबंध में किये गये स्पष्टीकरण अनुसार यदि जिलों के स्ट्रांग रूम में याचिका में अवरुद्ध ईव्हीएम के साथ-साथ बिना निर्वाचन याचिका की ईव्हीएम भी उसी स्ट्रांग रूम में रखी हैं, तो उस स्ट्रांग रूम को ईव्हीएम के भौतिक सत्यापन हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं खोला जावे। कृपया आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

प्रदेश में वर्तमान में जिन जिलों में निर्वाचन याचिका के कारण ईव्हीएम अवरुद्ध हैं तथा स्ट्रांग रूम में सील्ड रखी हैं, उन जिलों द्वारा शीघ्र ही संबंधित न्यायालय में भौतिक सत्यापन के लिए स्ट्रांग रूप खोलने की अनुमति हेतु आवेदन लगाकर शीघ्र कार्यवाही कराई जावे।

संलग्न— उपरोक्तानुसार



(एस. एस. बसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

क्रमांक 90 / 2015 / ईव्हीएम / अवरुद्ध / 7700

भोपाल, दिनांक 22.08.2015

प्रतिलिपि— सचिव, भारत निर्वाचन आयोग की ओर आपके पत्र क्रमांक 51 / 8 / 6 / 2015 / ई.एम.एस दिनांक 17.08.2015 के प्रकाश में सूचनार्थ प्रेषित।


(एस. एस. बसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

BY Special Messenger

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 51/8/6/2015/EMS

Dated: 17th August, 2015

To

The Chief Electoral Officers of
All States/UTs.

Subject:

Storage and Safety arrangement of EVMs-regarding.

Sir,

I am directed to refer to the Commission's letter of even number dated 14th July, 2015 whereby it was directed to carry out 100% Physical Verification of EVMs following the due procedure. In this regard, it is clarified that the EVMs warehouse, where non EP EVMs are kept along with the EP involved EVMs, shall not be opened for physical verification of the EVMs, without permission of the Court concerned.

Yours faithfully,



(Madhusudan Gupta)
Under Secretary